(49)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–2719–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी के प्रकरण क्रमांक–01/अपील/2014–15

.....

रतिराम आ0 कन्हैयालाल
निवासी–ग्राम गांतीत, तहसील रेहटी
जिला–सीहोर(म0प्र0)

————————आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती फूलवती बाई पुत्री कन्हैयालाल
निवासी–ग्राम गांतीत, तहसील रेहटी
जिला–सीहोर(म0प्र0)

2– श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व, तहसील–बुदनी, जिला–सीहोर(म0प्र0)

————————अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती सीमा मालवीय, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02-05-17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मुर्राह की कृषि भूमि सर्वे नंबर 174 रकबा 12.34 एकड़ खसरा नं0 77/1/2 रकबा 2.56 एकड़ कुल रकबा 14.90 एकड़ कृषक

हीरालाल व कन्हैयालाल के नाम थी। कन्हैयालाल जो आवेदक एवं अनावेदक क्र0 1 के पिता थे, उसकी मृत्यु के उपरांत पटवारी ने ग्राम मुर्राह की संशोधन पंजी क्रमांक 19 पर निगरानीकर्ता का एकमात्र उत्राधिकारी लिखाकर, जिसे राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 31.10.89 को उत्तरदाता/निगरानीकर्ता का नाम चढ़ाया। जिसके विरूद्ध अनावेदिका फूलवती बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी के समक्ष अपील मय धारा 5 अवधि विधान का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 01/अपील/2014–15 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 को उक्त आवेदन स्वीकार किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी द्वारा धारा 5 सीमा अवधि विधान का अपील में कोई विश्लेषण अथवा खुलासा न होने के बाद भी जो आवेदन स्वीकार किया है वह विधि विधान के वपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बुदनी के आदेश दिनांक 07.07.2015 के अनुसार जो अपील सीमावधि में मानी गई, उसमें निगरानीकर्ता को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिये यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है। अतः अधनीस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि रिवीजनकर्ता द्वारा जो रिवीजान की गई है वह आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदिका फूलवती बाई का धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये अनावेदिका फूलवती बाई के पक्ष में निराकृत किया गया है। जहां तक रिवीजनकर्ता द्वारा उत्तरदातागण फूलवती बाई के 25 वर्ष विलंब से न्यायालय में आकर अपील कने का प्रश्न है तो साथ ही उसके द्वारा धारा 5 परिसीमान अधिनियम का आवेदन पत्र भी विलंब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। रिवीजनकर्ता एवं अनावेदिका सगे भाई बहन है अनावेदिका के पिता स्व00 कन्हैयालाल की मृत्यु 1989 के उपरांत भी सम्पूर्ण पैतृक भूमि की समान रूप से वैधानिक उत्तराधिकारी है। जब उत्तरदाता को ज्ञात हुआ कि निगरानीकर्ता ने राजस्व अधिकारी से सांठ–गांठ करके स्व0 कन्हैयालाल की सम्पूर्ण पैतृक भूमि को अपने नाम पर नामांतरण पंजी में संशोधन कर अपने नाम से नामांतरण करा लिया है। जो उत्तरदाता ने अपने पिता स्व0 कन्हैयालाल के स्वामित्व की कृषिभूमि ग्राम मुर्राह प0ह0नं0 11 खसरा नं0 274, 277/1/2/1 किता 2, रकबा 14.90

एकड़ प्रविष्ट दिनांक 23.07.89 एवं प्रमाणीकरण दिनांक 31.10.1989 जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि अधिवक्ता के माध्यम से प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अवधि विधान में अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। इस आधार पर रिवीजान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदिका फूलवती बाई द्वारा जो प्रस्तुत की गई है तथा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में विलंब इसलिये माफ किया गया है कि यदि अनावेदिका फूलवती बाई को गुण–दोषों के आधार पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो अनावेदिका को अपूर्णीय क्षतिकारित होगी, जिसकी भरपाई कर पाना असंभव होगी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रकरण का निराकरण विलंब हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया जो न्यायोचित है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत संलग्न है जो स्पष्ट करता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न किया जाकर गुण–दोषों के आधार पर समर्थन करता है। (एम0पी0एल0जे0 2012(1) सालिगराम व अन्य विरूद्ध केशव व अन्य) संलग्न है। अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा प्रकरण में प्रस्तुत प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक रतिराम एवं अनावेदिका फूलवती बाई दोनों स्व0 कन्हैयालाल के पुत्र–पुत्री है। अर्थात् दोंनों सगे भाई–बहन है। चूँकि अनावेदिका स्व0 कन्हैयालाल की पुत्री है इस कारण उसे प्रश्नाधीन भूमि पर अधिकार प्राप्त था। स्व0 कन्हैयालाल के स्वामिम्त्व की कृषि भूमि स्थित ग्राम मुर्राह प0ह0नं0 11 भूमि खसरा नं0 274, 277/1/2/1 किता 02 रकबा 14.90 एकड़ भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उक्त भूमि स्व0 कन्हैयालाल की पैतृक भूमि थी, जिसपर स्व0 कन्हैयालाल के उपरांत आवेदक एवं अनावेदिका का समान रूप से अधिकार था, परन्तु आवेदक ने उक्त सम्पूर्ण भूमि का उत्तराधिकारी अकेले बताकर राजस्व निरीक्षक से सांठ–गांठ कर स्वयं के नाम नामांतरण करा लिया । जबकि अन्य भूमि ग्राम गांजीत में भूमि खसरा नं0 101 रकबा 9.96 एकड़ पर स्व0 कन्हैयालाल की मृत्यु उपरांत फौती नामांतरण होकर आवेदक एवं अनावेदिका के नाम पर संयुक्त रूप से थी। उक्त संशोधन पंजी की प्रमाणित प्रति अनावेदिका को दिनांक 29.10.2014 को प्राप्त हुई, तब जाकर अनावेदिका को उक्त संशोधन पंजी की जानकारी हुई और जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी,

जिसमें अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी द्वारा सुविधा संतुलन अनावेदिका के पक्ष में होने से धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार किया गया ।

6/ प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी का भी अवलोकन किया गया । नामांतरण पंजी के पृष्ठ क्र0 11 के कॉलम नं0 4 में आवेदक एवं अनावेदिका का नाम स्पष्ट लिखा हुआ था, किन्तु अनावेदिका का नाम काटा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो नामांतरण की कार्यवाही की गई है वह त्रुटिकारित है। अतः नामांतरण पंजी शंकास्पद है।

7/ अतएव उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बुदनी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2015 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,